

न्यायालय:-श्रीष कौलाश शुक्ल, व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग-1 बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

व्य0वादप्रक0 क0-116ए/2016
संस्थित दिनांक 21.11.2013

श्यालावन्ती बाई आयु 70 साल पति स्व0 रामचन्द्र राव कदम
निवासी वार्ड नं.07 बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट म0प्र0।

.....वादी।

विरुद्ध

- 1.वेंकटराव कदम आयु 60 साल पिता स्व0 श्यामराव
निवासी वार्ड नं.7 बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट।
- 2.श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैहर
तहसील बैहर जिला बालाघाट।
- 3.श्रीमान सहायक यंत्री म0प्र0 विद्युत मण्डल शाखा बैहर,
तहसील बैहर जिला बालाघाट।
- 4.श्रीमान कलेक्टर महोदय, बालाघाट।प्रतिवादीगण।

—:: निर्णय ::—

—:: दिनांक **15.07.2016** को घोषित ::—

1. यह वाद वादग्रस्त संपत्ति मेन रोड बैहर स्थित जनपद पंचायत बैहर की दुकान क्रमांक 17 के विषय में स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रकरण में स्वीकृत है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट के स्थाई निवासी है। यह भी स्वीकृत है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 वादी का देवर है। यह भी स्वीकृत है कि वादग्रस्त दुकान में पूर्व में वादी के पति द्वारा विद्युत कनेक्शन लगवाया गया था।
3. वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी तहसील बैहर जिला बालाघाट की स्थाई निवासी है एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 भी बैहर तहसील जिला बालाघाट का स्थाई निवासी है एवं वादी का देवर है। वादग्रस्त दुकान क्रमांक 17 मेन रोड बैहर जिला बालाघाट वादी के पति स्व0 रामचंद्र राव को लगभग 40-45 वर्ष पूर्व जनपद पंचायत बैहर द्वारा आबंटित की गई थी, जिसमें वादी का पति होटल व पान दुकान का व्यवसाय करता था। उपरोक्त दुकान आबंटित होने के पश्चात वादी के पति ने विद्युत मण्डल बैहर से विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया, जिसका सर्विस क्रमांक 656 है। वादी के पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात वादी ने अपने देवर प्रतिवादी क्रमांक 01 को होटल एवं पान दुकान संचालन हेतु परिवार के सदस्य होने के कारण दे दी थी। वादग्रस्त दुकान पर विद्युत कनेक्शन वादी के पति के नाम पर है, इसलिये वादी लगातार विद्युत बिल का भुगतान प्रतिवादी क्रमांक 01 के माध्यम से करती है। दिनांक 18.11.2013 को वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 01

Filling no,234503002262014

को विवादित दुकान पर तोड़फोड़ एवं पक्का निर्माण कार्य करते हुये देखा तो उसने प्रतिवादी क्रमांक 01 से पूछताछ की। प्रतिवादी क्रमांक 01 ने वादी से विवाद किया और कहा कि विवादित दुकान उसकी दुकान है और प्रतिवादी क्रमांक 01 ने वादी को जान से मारने की धमकी दी।

4. वादी ने इस बात की जानकारी अपने पुत्र को दी तब उसके पुत्र ने विद्युत मण्डल कार्यालय जाकर पूछताछ की, तब उसे यह जानकारी हुई कि दिनांक 14.11.2013 को वादी की सहमति के बिना प्रतिवादी क्रमांक 01 ने विवादित स्थान पर लगे हुये मीटर को विद्युत मण्डल को वापस कर दिया है। उपरोक्त जानकारी होने के पश्चात वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 01 के विरुद्ध पुलिस थाना बैहर में दिनांक 18.11.2013 को शिकायत दर्ज कराई थी। प्रतिवादी क्रमांक 01 ने जनपद पंचायत बैहर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मिली-भगत कर विवादित दुकान को अपने नाम पर आबंटित करवा लिया है, जबकि यह दुकान वादी के पति को पूर्व में ही आबंटित की गई थी। प्रतिवादी क्रमांक 01 ने प्रतिवादी क्रमांक 02 के कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर यह जानकारी दी है कि विवादित दुकान जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था में है और दुकान का नवीन निर्माण किया जाना है इसलिये विद्युत कनेक्शन हटा दिया जावे। विवादित दुकान वादी के पति के नाम पर आबंटित की गई थी और इसे विधि-विरुद्ध प्रतिवादी क्रमांक 01 के नाम पर आबंटित कर दिया गया है इसलिये यह आबंटन शून्य घोषित किये जाने योग्य है। वादी वृद्ध महिला है एवं विवादित दुकान उसकी जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन है। प्रतिवादी क्रमांक 01 को विवादित दुकान को तोड़कर नये निर्माण कार्य करने से रोका जावे तथा विवादित दुकान में प्रवेश करने एवं दखल देने से स्थाई रूप से निषेधित किया जावे।

5. स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त शेष अभिवचनों का प्रात्याख्यान कर अपने जवाबदावे में प्रतिवादी क्रमांक 01 ने यह कहा है कि वादी के पति की मृत्यु लगभग 20-25 वर्ष पूर्व हुई थी। विवादित दुकान प्रतिवादी क्रमांक 01 को आबंटित की गई थी और विगत अनेक वर्षों से विवादित दुकान का संचालन प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा किया जा रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 01 दुकान के संचालन में व्यस्त था इसलिये उसने अपने भाई, वादी के पति को दुकान में विद्युत कनेक्शन लगवाने हेतु कहा था तब वादी के पति ने स्वयं अपने नाम से विवादित दुकान पर विद्युत कनेक्शन लगवा लिया, परंतु विद्युत बिल का भुगतान लगातार प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा किया जाता रहा है। वादी अथवा वादी के पति का विवादित दुकान पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 01 बतौर किरायेदार जनपद पंचायत बैहर को उपरोक्त दुकान का निर्धारित किराया भुगतान करते आ रहा है। वादी ने न्यायालय को गुमराह कर वार्ड क्रमांक 05 बैहर स्थित अपने आवासीय परिसर की रसीद प्रस्तुत की है। विवादित दुकान वादी तथा उसके पति को आबंटित की गई थी। इस संबंध में कोई भी दस्तावेज वादी ने प्रस्तुत नहीं किया है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आधारहीन होने से एवं विधि-विरुद्ध होने से निरस्त किया जावे।

6. वादी के अभिवचनों का प्रात्याख्यान कर अपने जवाबदावे में प्रतिवादी क्रमांक 02 ने यह कहा है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैहर के द्वारा आबंटित दुकान में से विवादित दुकान क्रमांक 17 जनपद पंचायत बैहर के स्वामित्व की दुकान है, जिसे लगभग 25-30 वर्ष पूर्व प्रतिवादी क्रमांक 01 वेंकटराव कदम को आबंटित की गई थी। प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा विवादित दुकान का किराया राशि का भुगतान किया जाता रहा है। विवादित दुकान जनपद पंचायत बैहर के स्वत्व की शासकीय संपत्ति है जिस पर वादी का कभी भी आधिपत्य नहीं रहा है। वादी द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जिसे निरस्त किया जावे।

7. न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है जिनके सम्मुख उसके निष्कर्ष निम्नानुसार है:-

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या जनपद पंचायत बैहर की मेन रोड बैहर स्थित वादग्रस्त दुकान क्रमांक 17 पर प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा अवैध निर्माण कर वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है ?	अप्रमाणित
2	सहायता एवं व्यय ?	दावा निरस्त, कंडिका 14 अनुसार

वादप्रश्न क्र 01 निष्कर्ष:-

8. इस वादप्रश्न को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी श्यालावन्ती बाई वा.सा.01 ने अपने शपथ पत्र में यह कहा है कि विवादित दुकान लगभग 40-45 वर्ष पूर्व जनपद पंचायत बैहर द्वारा उसके पति स्व० रामचंद्र राव कदम को आबंटित की गई थी। दुकान आबंटित होने के पश्चात से उसका पति वादग्रस्त दुकान पर होटल एवं पान दुकान का व्यवसाय करता था। उसके पति ने विवादित दुकान पर विद्युत मीटर लगवाया था, जिसका सर्विस क्रमांक 656 था। उसके पति की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी क्रमांक 01 जो उसका देवर है विवादित दुकान में होटल का संचालन करने लगा। विवादित दुकान पर लगे विद्युत कनेक्शन के बिल का भुगतान वादी श्यालावन्ती बाई के पति एवं उसके पति की मृत्यु के पश्चात से वादी द्वारा किया जाता रहा है।

9. वादी श्यालावन्ती बाई वा.सा.01 ने अपने शपथ पत्र में यह भी कहा है कि दिनांक 18.11.2013 को उसने विवादित दुकान पर तोड़फोड़ होते हुये देखा तो उसने इस संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 01 से बात की, तब प्रतिवादी

क्रमांक 01 ने वादी से विवाद किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। वादी को जानकारी हुई है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 ने विद्युत मण्डल में आवेदन देकर विवादित दुकान पर लगे मीटर को हटवाया है। वादी ने विवाद के विषय में थाना प्रभारी बैहर को शिकायत की थी। वादी ने पुलिस थाना बैहर में की गई शिकायत प्र.पी.01 अभिलेख पर प्रस्तुत की है जिसमें वादी का प्रतिवादी क्रमांक 01 से हुये विवाद के विषय में रिपोर्ट लिखाया जाना दर्शित है।

10. वादी ने टेक्स वसूली रसीद दिनांक 22.08.1970 प्र.पी.02 अभिलेख पर प्रस्तुत की है जिसमें रामचंद्र राव कदम द्वारा वार्ड क्रमांक 05 स्थित घर के विषय में कर चुकाया गया है, यह दर्शित है। रामचंद्र राव द्वारा विद्युत मण्डल को चुकाये गये कर की रसीद के विषय में प्र.पी.03 की रसीद अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। सहायक विक्रय अधिकारी द्वारा वादी के पति रामचंद्र राव को प्रेषित सूचना पत्र प्र.पी.04 एवं 05 की प्रति अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण आदेश प्र.पी.06 तथा वादी द्वारा थाना प्रभारी बैहर को की गई शिकायत प्र.पी.07 की प्रति भी अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त दस्तावेज प्र.पी.04 से लगायत 06 के अनुसार वादी के पति रामचंद्र राव के द्वारा कर चुकाये जाने के संबंध में अथवा कर निर्धारण के संबंध में भुगतान देयक पूर्व में दिया जाना दर्शित है।

11. वादी श्यालावन्ती बाई वा.सा.01 के कथनों का समर्थन वादी साक्षी शेख करीमुद्दीन वा.सा.02 ने भी अपने शपथ पत्र में किया है और कहा है कि विवादित दुकान क्रमांक 17 वादी के पति रामचंद्र राव कदम को आबंटित की गई थी और उसकी मृत्यु के पश्चात से प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा संचालित की जा रही है। वादी साक्षी शेख करीमुद्दीन वा.सा.02 ने अपने शपथ पत्र में यह भी कहा है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 ने जनपद पंचायत बैहर के अधिकारियों से मिली-भगत कर विवादित दुकान को अपने नाम करवा लिया है। वादी श्यालावन्ती बाई वा.सा.01 ने स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 वेंकटराव प्र.सा.01 लगभग 17 वर्ष से विवादित दुकान को संचालित कर रहा है। वादी श्यालावन्ती बाई वा.सा.01 ने इस बात से इंकार किया है कि विवादित दुकान का किराया प्रतिवादी क्रमांक 01 चुकाया करता था। वादी श्यालावन्ती बाई वा.सा.01 ने यह कहा है कि विवादित दुकान का किराया वह देती थी जिसे प्रतिवादी क्रमांक 01 चुकाया करता था।

12. प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 01 ने अपने पक्ष समर्थन में यह कहा है कि विवादित दुकान विधिवत् रूप से उसे आबंटित की गई थी और मात्र व्यस्तता के कारण दुकान पर विद्युत कनेक्शन उसके भाई स्व० रामचंद्र राव कदम द्वारा प्राप्त किया गया था। प्रतिवादी के कथनों का समर्थन प्रतिवादी साक्षी जुगलकिशोर प्र.सा.02 ने भी अपने शपथ पत्र में किया है और कहा है कि लगभग 20-25 वर्षों से प्रतिवादी क्रमांक 01 विवादित दुकान का संचालन कर रहा है। प्रतिवादी साक्षी वेंकटराव प्र.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने विवादित दुकान के निर्माण के संबंध में वादी से

Filling no,234503002262014

कोई अनुमति प्राप्त नहीं की है। प्रतिवादी ने अपने पक्ष समर्थन में प्र.डी.01 लगायत प्र.डी.21 की किराया रसीद अभिलेख पर प्रस्तुत की है। प्र.डी.01 की रसीद दिनांक 30.10.1992 के अनुसार जनपद पंचायत बैहर को विवादित दुकान के विषय में वेंकटराव कदम द्वारा चुकाये गये किराये की राशि की प्राप्ति रसीद है। इसके पश्चात लगातार प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वर्ष 2013 तक विवादित दुकान का किराया जनपद पंचायत बैहर को चुकाया जाता रहा है। इस संबंध में प्र.डी.01 लगायत 21 की रसीद अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

13. प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 02 ने अपने जवाबदावे में यह कहा है कि विवादित दुकान प्रतिवादी क्रमांक 01 को आबंटित की गई है जिसका किराया प्रतिवादी क्रमांक 01 लगातार चुका रहा है। अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रकट हो रहा है कि विवादित दुकान पर विगत अनेक वर्षों से प्रतिवादी क्रमांक 01 का शांतिपूर्ण आधिपत्य है और वस्तुतः प्रतिवादी क्रमांक 01 ही प्रतिवादी क्रमांक 02 के किरायेदार की हैसियत से विवादित दुकान का आधिपत्यधारी है। इस प्रकार प्रतिवादी क्रमांक 01 का आधिपत्य अवैध नहीं है और न ही वादी का विवादित भूमि पर आधिपत्य है। ऐसी स्थिति में इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता कि प्रतिवादी क्रमांक 01 वादी के आधिपत्य में विधि-विरुद्ध रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है। अतः वादप्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष अप्रमाणित में दिया जाता है।

सहायता एवं व्यय:-

14. उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी अपना दावा सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः वादी का वाद विवादित दुकान क्रमांक 17 मेन रोड बैहर जिला बालाघाट के विषय में स्थाई निषेधाज्ञा बाबद् निरस्त किया जाता है एवं निम्न आज्ञाप्ति पारित की जाती है:-

1. वादी वादग्रस्त दुकान क्रमांक 17 मेन रोड बैहर जिला बालाघाट का आधिपत्यधारी नहीं होने से वह विवादित दुकान क्रमांक 17 के विषय में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

2. वादी प्रतिवादी का वादव्यय वहन करेगा।

3. अधिवक्ता शुल्क सूचीनुसार अथवा प्रमाणित होने पर जो भी न्यून हो देय होगा।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

दिनांक **15.07.2016**

स्थान-बैहर

सही / -

(श्रीष कैलाश शुक्ल)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर